

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 12, 2022 (AGRAHAYANA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

संख्या 63 / जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्निलिखत नियम बनाते हैं, अर्थातुः—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये नियम प्रथम दिसंबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 127 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - ′′127. प्राधिकरण के कृत्य.— प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—
 - (i) अवधारित करना कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुँच रहे हैं;
 - (ii) उस रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करना, जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;
 - (iii) (क) मूल्यों में कटौती;
 - (ख) यदि पात्र व्यक्ति, राशि की वापसी का दावा नहीं करता है या पहचान योग्य नहीं है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में उसे जमा कर रहा है, तो उच्च राशि संग्रहित करने की तिथि से ऐसी राशि की वापसी की या वापस नहीं की गई राशि की वसूली की तिथि तक, जैसी भी स्थिति हो, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सिहत मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से नहीं पहुंचाई गई राशि के समान राशि, प्राप्तिकर्ता को वापस करने;
 - (ग) अधिनियम मे यथा विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने; और
 - (घ) अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के रददकरण के आदेश करना।
 - (iv) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दसवें दिन तक परिषद् को कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।"।

- 5. उक्त नियमों में, नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा।
- 7. उक्त नियमों में, नियम 137 के बाद, स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - ''(क) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 171 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण।''।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2022

No. 63/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st December, 2022.
- 2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), rule 122 rule shall be omitted:
- 3. In the said rules, rule 124 and rule 125 shall be omitted.
- 4. In the said rules, for rule 127, the following rule shall be substituted, namely:-

"Functions of the Authority.— The Authority shall discharge the following functions, namely:-

- (i) to determine whether any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (ii) to identify the registered person who has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (iii) to order,
 - (a) reduction in prices;
 - (b) return to the recipient an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen percent from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable and depositing the same in the Fund referred to in section 57;
 - (c) imposition of penalty as specified in the Act; and
 - (d) cancellation of registration under the Act.
- (iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth day of the close of each quarter.".
- 5. In the said rules, rule 134 shall be omitted:
- **6.** In the said rules, rule 137 shall be omitted;
- 7. In the said rules, after rule 137, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) "Authority" means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.